

राष्ट्रीय आवास बैंक में सदस्यता आधारित मीडिया निगरानी एवं विश्लेषण सेवा के अधिग्रहण हेतु आरएफपी



आरएफपी संदर्भ सं.: रा.आ.बैंक/आईटीडी/आरएफपी/मीडिया निगरानी एवं विश्लेषण सेवा/07347/2022

राष्ट्रीय आवास बैंक में सदस्यता आधारित मीडिया निगरानी एवं विश्लेषण सेवा के अधिग्रहण के लिए
प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, इंडिया हैबिटेड सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

फोन: 011-39187104; 011-39187202; 011-39187237; 011-39187341

ई-मेल: sourav.seal@nhb.org.in ; akshay.kumar@nhb.org.in ; krishna.maurya@nhb.org.in ;
jaideep@nhb.org.in

राष्ट्रीय आवास बैंक में सदस्यता आधारित मीडिया निगरानी एवं विश्लेषण सेवा के अधिग्रहण हेतु आरएफपी

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण

1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री आरंभ होने की तिथि	02 नवंबर, 2022
2.	बोलीदाताओं के साथ बोली-पूर्व बैठक *	09 नवंबर, 2022
3.	बोली दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	30 नवंबर, 2022
4.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय #	02 दिसंबर, 2022
5.	योग्य बोलीदाताओं द्वारा तकनीकी प्रस्तुति	बाद में सूचित किया जाएगा
6.	आरएफपी की लागत	शून्य
7.	बयाना जमा राशि (ईएमडी)	- गैर-एमएसएमई बोलीदाताओं के लिए: ₹ 1,00,000/- -एमएसएमई/स्टार्ट अप बोलीदाताओं के लिए: ईएमडी/बोली सुरक्षा घोषणा। कृपया खंड 3.11 पढ़ें
8.	बोलियां खोलने का स्थान (मीटिंग लिंक बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा)	ऑनलाइन

*बैठक ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

#तकनीकी बोलियां उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी जो उपस्थित होना चाहते हैं। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। ऑनलाइन तकनीकी बोली खोलने हेतु मीटिंग लिंक को रा.आ.बैंक द्वारा प्रतिभागी बोलीदाताओं के साथ ईमेल के माध्यम से अग्रिम रूप से साझा किया जाएगा या बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

नोट:

- इच्छुक बोलीदाता इस आरएफपी के खंड 3.1 के अनुसार ई-मेल/डाक पर बोली-पूर्व प्रश्न भेज सकते हैं।
- किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क कर्मियों से या वेबसाइट प्रकाशन के माध्यम से ई-मेल के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी सबूतों/कंपनी रिकॉर्ड्स के माध्यम से प्रस्तुत किए गए सभी डेटा/सूचनाओं को रिपोर्ट किया जाना चाहिए और इस आरएफपी के प्रकाशन की तिथि को माना जाएगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक में सदस्यता आधारित मीडिया निगरानी एवं विश्लेषण सेवा के अधिग्रहण हेतु आरएफपी

2. राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), एक सांविधिक संस्थान, पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत स्थापित किया गया है।

अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई है:

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु टोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- इस अधिनियम के तहत व्युत्पन्न विनियामक एवं पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को पर्यवेक्षित करना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतीत करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में स्थित हैं और क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय (आरआरओ) अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, चेन्नई और गुवाहाटी में स्थित हैं।

अधिक जानकारी और रा.आ.बैंक उपस्थिति स्थान के संपर्क विवरण के लिए, बोलीदाता बैंक की वेबसाइट <https://nhb.org.in/en/> पर जा सकते हैं।

3. बोलीदाताओं को निर्देश

सामान्य निर्देश

- बोलीदाताओं द्वारा उत्तरों के विकास, तैयारी एवं प्रस्तुति बैठक, परिचर्चा, प्रदर्शन इत्यादि में उपस्थिति तक ही सीमित नहीं; इससे किसी भी तरह जुड़े एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अतिरिक्त सूचना प्रदान करने में खर्च की गई सभी लागत एवं व्यय पूरी तरह व विशेष रूप से बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक में सदस्यता आधारित मीडिया निगरानी एवं विश्लेषण सेवा के अधिग्रहण हेतु आरएफपी

- बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौते को छोड़कर, किसी भी बोलीदाता और रा.आ.बैंक के बीच संविदात्मक समझौते के निष्पादन तक कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन और अंतिम रूप देने और सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात, सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने वाले निश्चित समझौते का एक हिस्सा होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, पूर्व-अनुबंध सत्यनिष्ठा संधि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली के संबंध में उक्त पूर्व-अनुबंध सत्यनिष्ठा संधि के उल्लंघन में किए गए किसी भी कार्य/चूक के लिए उन पर बाध्यकारी होगी।
- प्रत्येक बोलीदाता मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र बोलीदाताओं को छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है।
- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करके, इस आरएफपी की शर्तों और अस्वीकरण को स्वीकार करने वाला माना जाएगा।
- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें:

<p>सौरव सील उप महाप्रबंधक ई-मेल: sourav.seal@nhb.org.in टेलीफोन: 011-3918 7104 फैक्स: 011-24649432</p>	<p>अक्षय कुमार प्रबंधक ई-मेल: akshay.kumar@nhb.org.in टेलीफोन: 011-3918 7202 फैक्स: 011-24649432</p>
<p>के. सी. मौर्य उप प्रबंधक ई-मेल: krishna.maurya@nhb.org.in टेलीफोन: 011-3918 7237 फैक्स: 011-24649432</p>	<p>जयदीप सहायक प्रबंधक ई-मेल: jaideep@nhb.org.in टेलीफोन: 011-3918 7341 फैक्स: 011-24649432</p>

- राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी/निविदा बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता/ बोलीदाताओं से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो उपर्युक्त संपर्क व्यक्ति/व्यक्तियों से सोमवार से शुक्रवार, सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक बोलियों के प्रस्तुत करने की समय-सीमा के पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक में सदस्यता आधारित मीडिया निगरानी एवं विश्लेषण सेवा के अधिग्रहण हेतु आरएफपी

- बोलीदाता को भारत के किसी भी सरकारी विभाग/पीएसयू/बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित या असूचीबद्ध नहीं किया गया हो।
- रा.आ. बैंक अपनी आरएफपी के परिणाम के मुमकिन होते ही सभी शार्ट लिस्ट बोलीदाताओं को लिखित रूप में अथवा मेल के द्वारा या उसे अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करके सूचित करेगा। रा.आ.बैंक ऐसी किसी भी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है।
- न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करने वाली बोलियां आगे के मूल्यांकन के लिए पात्र होंगी और बाद में न्यूनतम पात्रता मानदंड और तकनीकी मूल्यांकन दोनों को अर्हता प्राप्त करने वाली बोलियां वित्तीय मूल्यांकन के लिए पात्र होंगी।
- फर्म प्रमुख बोलीदाता होनी चाहिए एवं प्रस्तुत की जाने वाली समाधान/सेवाओं हेतु किसी संघ की अनुमति नहीं है।

3.1 बोली पूर्व बैठक

- इस आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ, रा.आ.बैंक आरएफपी में इंगित की गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न बोली पूर्व बैठक की तिथि से कम से कम 2 दिन पहले ईमेल द्वारा या डाक द्वारा उपरोक्त ई-मेल/पोस्टल पते पर पहुंच जाना चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा।
- इच्छुक बोलीदाता वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर पहुंच कर निर्धारित बोली पूर्व बैठक में ऑनलाइन भाग ले सकते हैं।

3.2 निविदा दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी

निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति रा.आ.बैंक की वेबसाइट <https://nhb.org.in/en/> पर उपलब्ध कराई जाएगी।

3.3 निविदा की गैर हस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

3.4 विलोपन या परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी फॉर्म में कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने

राष्ट्रीय आवास बैंक में सदस्यता आधारित मीडिया निगरानी एवं विश्लेषण सेवा के अधिग्रहण हेतु आरएफपी

विवेकाधिकार पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलिदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.5 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज़ में संशोधन

1. बोलियों की प्रस्तुति हेतु अंतिम समय सीमा से पूर्व किसी भी समय आ.बैंक किसी भी कारण से बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन/सुधार करते हुए संशोधन कर सकता है।
2. ऐसे संशोधनों को रा.आ.बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर दर्शाया जाएगा।
3. सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। बोलीदाता/ओं द्वारा किसी भी प्रकार के चूक के मामले में रा.आ.बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
4. रा.आ.बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
5. किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए रा.आ.बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में आरएफपी को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

3.6 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता रा.आ.बैंक बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

3.7 प्रच्छादित (मास्कड) वित्तीय बोली

बोलीदाता तकनीकी बोली के साथ वास्तविक कीमतों को अलग से प्रच्छादित करते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत की जा रही वास्तविक कीमत की बोली राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार की प्रति प्रस्तुत करेगा। यह अनिवार्य है। वह बोली अयोग्य ठहराई जा सकती है यदि इसे यथोचित ढंग से प्रच्छादन करते हुए प्रस्तुत न किया गया हो। बैंक के पास वित्तीय मूल्यांकन के समय पर बोली/निविदा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है यदि 'प्रच्छादित वाणिज्यिक बोली' का प्रारूप/विवरण (मूल्य के सिवाय) प्रस्तुत की गई वास्तविक वित्तीय बोली के प्रारूप/विवरण से न मिलता हो।

3.8 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निविदा में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास समय-समय पर निविदा में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

3.9 बोली में शामिल किये जाने वाले दस्तावेज

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

राष्ट्रीय आवास बैंक में सदस्यता आधारित मीडिया निगरानी एवं विश्लेषण सेवा के अधिग्रहण हेतु आरएफपी

3.10 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रूपए में कोट की जाएगी।

3.11 बयाना जमा राशि (ईएमडी)

I. गैर-एमएसएमई बोलीदाताओं हेतु:

क. सभी बोलियों के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक के पक्ष में ई-भुगतान के माध्यम से ₹ 1,00,000/- की प्रतिदेय ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा राशि होनी चाहिए।

खातों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	प्रकार	विवरण
1.	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2.	लाभार्थी का पता	कोर 5ए, चौथी मंजिल, इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003
3.	लाभार्थी के बैंक का नाम	भारतीय स्टेट बैंक
4.	लाभार्थी के बैंक की शाखा का पता	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कंपलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
5.	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6.	लाभार्थी बैंक खाता सं.	52142903844
7.	बैंक की शाखा का आईएफसी कोड	SBIN0020511
8.	एमआईसीआर सं.	110002658

अन्य बिंदुओं के लिये अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

3.12 कार्य-निष्पादन गारंटी

सफल बोलीदाता को अनुबंध-एल में निर्धारित प्रारूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी के रूप में कुल अनुबंध मूल्य (अनुबंध I) के 3% मूल्य की कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी/पीबीजी प्रदान करना आवश्यक होगा। पीबीजी अनुबंध अवधि की समाप्ति से कम से कम तीन माह तक या ऐसी अन्य विस्तारित अवधि तक वैध होना चाहिए जैसा कि रा.आ.बैंक तय कर सकता है। सफल बोलीदाता द्वारा श्रम कानूनों और किसी भी अन्य कानूनों / नियमों / विनियमों सहित लागू सांविधिक प्रावधानों का पालन न करने सहित आरएफपी अवधि में गैर-कार्यनिष्पादन या चूक के जोखिम के एवज में रा.आ.बैंक के हितों की रक्षा के लिए पीबीजी की आवश्यकता होती है। अनुबंध की शर्तों के सफल कार्यान्वयन में चूक, पीबीजी के आह्वान को वारंट कर सकता है, और यदि विक्रेता/ बोलीदाता के किसी भी कार्य के परिणामस्वरूप चलनिधि

राष्ट्रीय आवास बैंक में सदस्यता आधारित मीडिया निगरानी एवं विश्लेषण सेवा के अधिग्रहण हेतु आरएफपी

क्षतिपूर्ति / जुर्माना लगाया जाता है, तो रा.आ.बैंक प्रस्तुत बैंक गारंटी को लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। लागू वैधानिक प्रावधानों आदि के गैर-अनुपालन सहित आरएफपी शर्तों में गैर-निष्पादन या चूक के संबंध में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम और सफल बोलीदाता के लिए बाध्यकारी होगा।

3.13 चलनिधि क्षति

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

3.14 बोलियों की वैधता अवधि

- बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तावित मूल्य और अन्य शर्तें वित्तीय बोली खोलने की तिथि से 6 माह की स्वीकृति अवधि हेतु मान्य होनी चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में रा.आ.बैंक वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए बोलीदाताओं की सहमति मांग सकता है। उपर्युक्त कोई भी अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित रूप में की जाएगी। प्रदान की गई बोली सुरक्षा/ईएमडी को भी बढ़ाया जाएगा।

3.15 बोली प्रारूप तथा हस्ताक्षर

प्रत्येक बोली दो भागों में होगी:

- भाग I: न्यूनतम पात्रता मानदंड, तकनीकी बोली और प्रच्छादित (मास्कड) वित्तीय बोली [बिना किसी मूल्य के मूल्य बोलियां] शामिल हैं। उपरोक्त सामग्री को "तकनीकी प्रस्ताव" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।
- भाग II: इसमें केवल वित्तीय बोली को शामिल किया गया है जिसे "वित्तीय प्रस्ताव" संदर्भित किया गया है।
- मूल बोलियां अमिट स्याही से टाइप या लिखी जाएंगी और बोलीदाता या किसी व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा अनुबंध के लिए बोली लगाने वाले को बाध्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को बिना संशोधित मुद्रित साहित्य को छोड़कर, बोलियों के सभी पृष्ठों पर अपने आद्याक्षर करने होंगे।

3.16 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

- आरएफपी में दर्शाई गई अंतिम तिथि और समय से पहले बोलियां बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- बैंक अपने विवेक से, बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोलियां जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है, इस मामले में, बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और दायित्व जो पहले समय सीमा के अधीन थे, उसके बाद बढ़ाई गई समय सीमा के अधीन होंगे।

3.17 बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तिथि एवं समय पर बैंक समिति द्वारा बोलीदाता प्रतिनिधियों की उपस्थिति में बोलियां खोली जाएंगी जो निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में भाग लेंगे।

राष्ट्रीय आवास बैंक में सदस्यता आधारित मीडिया निगरानी एवं विश्लेषण सेवा के अधिग्रहण हेतु आरएफपी

- तकनीकी बोली खोलने का स्थान: प्रधान कार्यालय, रा.आ.बैंक.
- तकनीकी बोली खोलने के समय बोलीदाता का नाम और अपेक्षित ईएमडी की उपस्थिति या अनुपस्थिति और बैंक के रूप में ऐसे अन्य विवरण, यदि कोई हो, जो अपने विवेक पर उचित समझे, की घोषणा की जाएगी।

3.18 बोलियों पर स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, बैंक स्व विवेकानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया ई-मेल के माध्यम से लिखित रूप में होगी और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.19 प्रारंभिक जांच

- बैंक यह निर्धारित करने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात/दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं आदि।
- रा.आ.बैंक स्व एकमात्र विवेकानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बोली की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैंकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

3.20 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और सहायक दस्तावेज तब तक रा.आ.बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ.बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

3.21 बोलीदाताओं को निर्देश:

बोलीदाता रा.आ.बैंक द्वारा सौंपे गए कार्य को रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति के अलावा किसी तीसरे पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतों को केवल अपनी सेवा/समर्थन अवसंरचना के माध्यम से ही शामिल करेगा।

3.22 मूल्य संरचना एवं विचलन

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

3.23 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

इस आरएफपी में वर्णित इस परियोजना के तहत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए विक्रेता के पास नई दिल्ली/एनसीआर और मुंबई में उचित और पर्याप्त समर्थन तंत्र होना चाहिए।

3.24 मैनुअल एवं आरेखण

विक्रेता संविदा की अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई सेवाएं के लिए संपूर्ण तकनीकी एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। सभी मैनुअल अंग्रेजी में होने चाहिए और उपलब्ध कराई गई सेवाएं सफ्ट तौर पर उल्लिखित होनी चाहिए।

3.25 बोली मूल्यांकन

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

3.26 संशोधन एवं वापसी

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि कोई बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे बोली पूर्व बैठक के बाद ही बोलियां जमा करें क्योंकि एक बार जमा की गई बोलियों को अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोली जमा करने की समय सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ.बैंक को बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है। किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-प्राप्ति/गैर-सुपुर्दगी के लिए रा.आ.बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

3.27 मूल्य का प्रकटन

वित्तीय बोली के अलावा किसी भी रूप में या किसी भी कारण से तकनीकी या बोली के अन्य भागों में मूल्यों का प्रकटीकरण नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर बोली को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

3.28 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली फर्मों को अपने स्वयं के नियम और शर्तें बोली लगाने की आवश्यकता नहीं है और यदि प्रस्तुत की जाती हैं तो उन्हें उनकी बोली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे अनुबंध-क्यू के अनुसार विचलन को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें, यदि इस आरएफपी पर लागू अनुबंध के नियम और शर्तें उन्हें स्वीकार्य नहीं हैं। बोलीदाताओं को यह भी स्पष्ट रूप से वर्णन करना चाहिए कि किस संबंध में और किस सीमा तक प्रदान किए जा रहे उपकरण और सेवाएं विनिर्देशों और आवश्यकताओं में निर्धारित विनिर्देशों से भिन्न/विचलित हैं।

3.29 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

3.30 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके विक्रेताओं से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

3.31 प्रस्ताव की सामाग्री

बोलीदाताओं के प्रस्ताव मूल्यांकन और चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि बोलीदाता सावधानीपूर्वक प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता एवं इस परियोजना में बोलीदाता की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

3.32 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये आपूर्तिकर्ता:

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि उन्हें किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाये। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

3.33 कानूनों का अनुपालन

- (क) विक्रेता/बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं रा.आ.बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।
- (ख) विक्रेता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना/संविदा की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव, रक्षा

राष्ट्रीय आवास बैंक में सदस्यता आधारित मीडिया निगरानी एवं विश्लेषण सेवा के अधिग्रहण हेतु आरएफपी

करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा और रा.आ.बैंक सलाहकार को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

(ग) यदि रा.आ.बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत विक्रेता के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3.34 बौद्धिक संपदा अधिकार

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

3.35 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा/बोली प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयीं उसकी निविदा/बोली की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती है तो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे।

क. यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो उसकी कुल बायाना/ईएमडी राशि जब्त कर दी जाएगी एवं निविदा/बोली को सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ख. यदि अनुबंध के स्तर पर ऐसा विवरण मिलता है, तो रा.आ.बैंक अपने विवेक से पीबीजी के आह्वान सहित अनुबंध को समाप्त करने के लिए आरएफपी में प्रदान की गई उचित कार्रवाई कर सकता है।

3.36 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध:

- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने हेतु तभी पात्र होगा, जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हो।

यद्यपि, यदि बोलीदाता उसी देश से हैं (यदि भारत के साथ भूमि सीमा साझा कर रहे हों) जिस देश में भारत सरकार ने ऋण व्यवस्था लागू की हैं या जिसमें भारत सरकार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ऐसे देशों की अद्यतन सूची के अनुसार परियोजनाओं के विकास में कार्य कर रही है, तो इस प्रकार का पंजीकरण इस आरएफपी के अंतर्गत पात्र होने हेतु अपेक्षित नहीं है।

- बोलीदाता को **अनुलग्नक S** में संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र नकली पाया जाता है तो यह निविदा के निरस्तीकरण का आधार बनेगा तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
- इस खंड के प्रयोजन हेतु:

क) बोलीदाता" (कुछ संदर्भों में 'निविदा', 'सलाहकार' अथवा 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) से तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, जिसमें सहायता संघ या संयुक्त उद्यम (जो कई व्यक्तियों या फर्मों या कंपनियों का

राष्ट्रीय आवास बैंक में सदस्यता आधारित मीडिया निगरानी एवं विश्लेषण सेवा के अधिग्रहण हेतु आरएफपी

संघ है), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो एतदपूर्व उल्लिखित बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता, जिसमें किसी भी एजेंसी शाखा या कार्यालय को ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो खरीद प्रक्रिया में भाग लेता है, शामिल है।

ख) इस आदेश के उद्देश्य हेतु "भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोलीदाता" का अर्थ: -

- 1) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्था; या
- 2) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत सहायक कंपनी या संस्था; या
 - देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से वास्तव में नियंत्रित की गयी संस्था; या
 - संस्था जिसका लाभकारी मालिक देश में स्थित है; या
 - संस्था का भारतीय (या अन्य) एजेंट; या
 - साधारण व्यक्ति जो देश का नागरिक है; या
 - सहायता संघ या संयुक्त उद्यम जहां सहायता संघ या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।

ग) उपर्युक्त (ख) के प्रयोजन हेतु लाभकारी मालिक निम्नानुसार होगा।

- 1) कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, स्वामित्व हित को नियंत्रित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है।

"स्वामित्व हित को नियंत्रित करना" का अर्थ है, कंपनी के शेयरों या पूंजी या लाभ के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

"नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या उनके शेयरहोल्डिंग या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के करार या वोटिंग करार सहित के आधार पर प्रबंधन या नीतिगत निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा;

2) साझेदारी फर्म के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, उसके पास साझेदारी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक पूंजी या लाभ की हकदारी का स्वामित्व है;

3) अनिगमित संघ या वैयक्तिकों के निकाय के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, जिसके पास संघ या वैयक्तिकों के निकाय की संपत्ति या पूंजी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

राष्ट्रीय आवास बैंक में सदस्यता आधारित मीडिया निगरानी एवं विश्लेषण सेवा के अधिग्रहण हेतु आरएफपी

- 4) जहां किसी भी साधारण व्यक्ति की पहचान उपर्युक्त (i) या (ii) या (iii) में नहीं की गयी है, लाभकारी मालिक प्रासंगिक साधारण व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद ग्रहण करता है;
- 5) न्यास के मामले में, लाभकारी मालिक की पहचान में न्यास के प्रणेता, न्यासी, न्यास में पंद्रह प्रतिशत या इससे अधिक ब्याज के साथ लाभार्थी और कोई भी अन्य साधारण व्यक्ति जो नियंत्रण स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का उपयोग करता है, शामिल होगी।

घ) एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे के लिए कोई भी कार्य करने या तीसरे व्यक्ति के साथ डील करने में दूसरे व्यक्ति की जगह नियोजित होता है।

4. कार्य क्षेत्र/वितरणयोग्य

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

5. अनुबंध की अवधि

- i. अनुबंध की अवधि उपयोगकर्ता स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष की होगी एवं बैंक के विवेक पर बढ़ाई जा सकती है।
- ii. अप्रत्याशित घटना के कारण अनुबंध को बढ़ाया भी जा सकता है; तथापि, ऐसी विस्तारित अवधि हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

6. सेवा स्तरीय करार एवं अर्थदंड खंड

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

7. बोली प्रक्रिया (दो चरण) और मूल्यांकन

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

8. वाणिज्यिक नियम और शर्तें

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

www.nhb.org.in – What's New

कृपया नोट करें – अंग्रेजी आरएफपी संस्करण राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in में What's New हेड पर उपलब्ध है।

**किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।*

XXXXXXXXXXXX